

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल मीणा
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्री बनवारी लाल पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी छापोली

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं


अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

-:निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 06/21

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 4309 कुल रकबा 1.89 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से 0.50 है0 सरकारी भूमि पर श्री बनवारी लाल पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी छापोली ने अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उसका उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी का अपने हक में नियमन करने का निवेदन किया है।


न.सहस्रबुधर
पृ. सं. 1 उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

कृ. पृ. उ.

अप्रार्थी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 4309 कुल रकबा 1.89 है० किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.50 है० भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 4309 कुल रकबा 1.89 है० किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.50 है० सरकारी भूमि पर से श्री बनवारी लाल पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी छापोली को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.76 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 38/- रुपये (अक्षरे रू अड़तीस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

ना. सहस्रलदार
उदयपुरवाटी (मुन्चुन)

(अमीलाल मीणा)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी

पृ. सं. 2

2020-21
38

पृ. 148
Ran